



# यू० पी० बैंक इम्प्लाइज यूनियन

पंजीकरण संख्या-538

ए.आई.बी.ई.ए. से संबद्ध

केन्द्रीय कार्यालय : 106/107 द्वितीय तल, ब्लाक संख्या 26/2/4, संजय प्लेस, आगरा-282002

पत्र व्यवहार : 3/17, विभव नगर, आगरा-282 001, मो: 09837472750

फोन/फैक्स: (नि०) 0562-4044383, E-mail: mmrai\_2509@yahoo.co.in & mmrai2509@gmail.com



परिपत्र संख्या : 2019-22/91/2020

दिनांक : 20.05.2020

सभी प्रान्तीय पदाधिकारियों, कार्यकारिणी सदस्यों  
जिला इकाईओं के मंत्रियों/अध्यक्षों हेतु

प्रिय साथियों,

## अनुपस्थिति की अवधि के लिए वेतन सहित विशेष अवकाश

उपरोक्त विषय में एआईबीईए केन्द्रीय कार्यालय द्वारा परिपत्र संख्या 28/197/2020/35 दिनांक 20.5.2020 जारी किया गया है जिसका अनूदित सार सभी इकाईओं एवं सदस्यों की सूचना एवं संज्ञान हेतु नीचे प्रस्तुत किया जा रहा है।

अभिवादन सहित,  
आपका साथी,

(मदन मोहन राय)  
महामंत्री

प्रिय साथियों,

## अनुपस्थिति की अवधि के लिए वेतन सहित विशेष अवकाश

जब से कोरोना के कारण लॉकडाउन की घोषणा की गई है, हम आईबीए और वित्त मंत्रालय के साथ विभिन्न मुद्दों को उठा रहे हैं और उनके द्वारा समय-समय पर विभिन्न दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। प्रत्येक बैंक स्तर पर भी, कुछ उपायों और सुविधाओं की घोषणा की गई है। परिवहन सुविधाओं को वापस लेने और स्थानीय अधिकारियों द्वारा लगाए गए अन्य प्रतिबंधों के कारण विभिन्न आकस्मिकताओं के तहत कार्य से अनुपस्थिति मुख्य चिंता का विषय रहा है।

इस पृष्ठभूमि में, एचआर कमेटी और एमसी की बैठक की मंजूरी से उत्पन्न, आईबीए ने अपने परिपत्र संख्या 2 दिनांक 18.5.2020 द्वारा दिशानिर्देश दिए हैं।

अनुपस्थिति की निम्नलिखित अवधि को वेतन के साथ विशेष अवकाश के रूप में माना जायेगा :

1. यदि कर्मचारी कोरोना प्रभावित रोगी के संपर्क में आता है, तो बैंक/स्थानीय अधिकारियों के निर्देशानुसार होम क्वारंटाइन/एकांत और स्वतः—क्वारंटाइन।
2. शाखा/कार्यालय या कर्मचारी के निवास के क्षेत्र में स्थानीय अधिकारियों द्वारा लगाया गया शट डाउन।

अन्य आकस्मिकताओं के संबंध में, बैंकों को शाखाओं की भौगोलिक स्थिति के आधार पर और मानवीय और सहानुभूति के आधार पर तथा प्रत्येक बैंक में व्यवसाय निरंतरता योजना को ध्यान में रखते हुए स्वयं के प्रशासनिक निर्णय लेने की सलाह दी गई है।

अभिवादन सहित,

आपका साथी  
ह...  
सी.एच. वेंकटचलम्  
महामंत्री